(4) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, तिलहन मिशन प्रौद्योगिकी आदि जैसे कार्यफसल-विशेष और क्षेत्र-विशेष उत्पादन कार्यक्रम शुरू करना ;

(5) उन्नत प्रौद्योगिकी तथा पैकेज पद्धतियां अपनाना ;

(6) भूमि का गहन प्रयोग तथा दोहरे और बहु फसल प्रतिमान अपनाकर सस्यगत क्षेत्र में वृद्धि करना ;

(7) उन्नत उपकरणों और यंत्रों का प्रयोग करना ;

(8) समेकित कृषि नियंत्रण उपाय ;

(9) सस्ती दरों पर ऋण सुविधायें

(10) विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ताकि उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अन्तरण फार्मों तक किया जा सके ;

(11) कारगर मूल्य तथा विपणन समर्थन ।

पपनकलां में कोआपरेटिव ग्रुप हऊसिंग सोसायटियों को जमीन का आवंटन

502. श्री रामजेठमलानी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी डी ए फ्लैट फार लैण्ड रेट हाइक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में पपनकलां "द्वारिका" में ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को 1375 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित करने का विचार रखता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा किस दर पर तथा किस वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जमीन आवंटित की गई थी तथा दरों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) "द्वारिका" परियोजना में सहकारी सामूहिक आवास समितियों से ली जाने वाली दर को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) 1975 से अब तक कुल 518 समितियों को विवरण में दर्शायी गई दरों पर भूमि आवंटित की गई है ।

विवरण

भूमि के आवंटनार्थ लागू दरें

इलाके का नाम	31-3-81 तक	1-4-81 से 31-3-85	1-4-85 से 31-8-87	1-9-87 से 31-8-88
रोहिणी, सीबीडी शाहदरा, गीता कालोनी, पटपड़गंज और बोडेला (विकासपुरी)	54/-प्रति प्रति वर्ग मीटर	110/- रु. प्रति वर्ग मीटर	174/- रु. प्रति वर्ग मीटर	400/- रु. प्रति वर्ग मीटर
रोहतक रोड, पीतमपुरा	60/- रु. -वही-	135/- रु. -वही-	199/- रु. प्रति वर्ग मीटर	425/- रु. -वही-
दक्षिणी और मध्य क्षेत्र	——	160/- रु. -वही-	224/- रु. -वही-	450/- रु. -वही-